

अध्याय 3: निर्धारण

3.1 आयकर विभाग के पास 3831 निर्धारण इकाईयों¹² में वि.व. 09, वि.व. 10 और वि.व. 11 में कुल क्रमशः 5.60 लाख, 5.96 लाख और 6.64 लाख पंजीकरण न्यास हैं। वि.व.09 से वि.व.11 के दौरान न्यासों की संख्या में औसत वार्षिक वृद्धि 8.9 प्रतिशत थी। हमने 554 निर्धारण इकाईयों में न्यासों के 1.37 लाख (संवीक्षा: 0.17 लाख एवं संक्षिप्त: 1.20 लाख) निर्धारणों की पहचान की। हमने 0.81 लाख निर्धारण मामलों (संवीक्षा: 0.15 लाख एवं संक्षिप्त: 0.66 लाख) की जांच की। हमने इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ₹ 3,019.21 करोड़ के कर प्रभाव वाली अनियमित छूट की 1,211 (संवीक्षा: 1019 एवं संक्षिप्त: 264) आपत्तियां उजागर की। संवीक्षा मामलों पर आपत्तियां लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच किए गए कुल संवीक्षा मामलों का 6.5% बनती हैं और इनका खुलासा अध्याय 3, 4 और 5 में किया गया है।

बाईस न्यासों ने ₹ 819 करोड़ का अधिशेष संचित किया जो उनकी कुल आय के 35.7 से 84.8 प्रतिशत के बीच था। ये अधिशेष अधिक लाभ कमाने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु प्रयोग में लाए गए थे अथवा कर से बचने के लिए धर्मार्थ उद्देश्यों के बजाए अन्य न्यासों को अन्तरित किए गए थे।

लगातार भारी अधिशेष सुजित करने वाले न्यासों को अनियमित छूट

3.2 अधिनियम की धारा 11(2) में यह प्रावधान है कि यदि निधियों का प्रयोग कुल आय के 85% से कम है, तो छूट प्राप्त करने के लिए न्यास, आयकर की रिटर्न दाखिल करने से पूर्व एओ को फार्म 10 प्रस्तुत करने के पश्चात पांच वर्षों के लिए ऐसी निधियों का संचय कर सकते हैं। धारा 11(1) (डी) में प्रावधान हैं कि विशिष्ट निदेशों से प्राप्त दान न्यास की निधि के कॉरपस को क्रेडिट किए जाते हैं तथा भविष्य में उपयोग के लिए संचित किए जाते हैं। तथापि, अधिनियम में निधियों के संचय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है और न्यास निरन्तर वर्ष-दर-वर्ष अधिकतम निधियां संचित कर के छूटों का लाभ उठा रहे हैं।

3.3 हमने देखा कि दिल्ली, मुम्बई, पुणे, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता और ओडिशा में 22 शिक्षण संस्थानों के पास नि.व. 07 तथा नि.व. 11 के दौरान ₹ 819.40 करोड़ का व्यय करने के बाद आय का भारी अधिशेष था और इस प्रकार से संचित अधिशेष उनकी कुल आय के 35.7 से 84.8 प्रतिशत के बीच थे। 10 संस्थाओं के उदाहरण नीचे दी गई तालिका 3.1 में दर्शाए गए हैं:

¹² मार्च 2010 को

तालिका 3.1: अधिशेष दर्शाने वाली संस्थाएं

न्यास एवं प्रभार	नि.व.	आय	व्यय	अधिशेष	₹ लाख अधिशेष %
क. तत्वजनाना विद्यापीठ, डीआईटी-ई, मुम्बई	नि.व.08	495.37	75.19	420.18	84.82
	नि.व.09	557.32	128.49	428.83	76.94
	नि.व.10	508.41	78.46	429.95	84.57
ख. इशान शैक्षिक अनुसंधान समिति, डीआईटी-ई, दिल्ली	नि.व.07	358.90	168.58	190.32	53.02
	नि.व.08	488.14	203.75	284.38	58.26
	नि.व.09	588.98	206.83	382.15	64.90
	नि.व.10	907.51	268.38	639.13	70.42
ग. सिंबायासिस मुक्त शिक्षा समिति, सीआईटी-I, पुणे	नि.व.10	9554.51	1599.43	7955.08	83.26
घ. सिंबायासिस समिति, सीआईटी-I, पुणे	नि.व.09	31087	12053	19034	61.23
	नि.व.10	30626	15369	15257	49.82
	नि.व.11	33339	16140	17199	51.59
ङ. आदर्श शैक्षिक न्यास इरोड, सीआईटी-II कोयम्बटूर	नि.व.08	4.22	2.61	1.61	61.80
	नि.व.09	6.94	2.48	4.46	35.70
च. शान्ति शिक्षा समिति, डीआईटी-ई, दिल्ली	नि.व.09	612.92	299.25	313.67	51.17
छ. जीआरडी न्यास, सीआईटी-I कोयम्बटूर	नि.व.10	15.48	8.02	7.46	51.80
ज. सरस्वती शैक्षिक न्यास, इरोड, सीआईटी-II कोयम्बटूर	नि.व.11	2.23	1.19	1.04	53.30
झ. रितनन्द बालवेड शिक्षा न्यास, डीआईटी-ई, दिल्ली	नि.व.10	50,066.62	31,860.37	18,206.25	36.36
जोड़		1,59,219.55	78465.03	80754.51	

3.4 तालिका 3.1 दर्शाती है कि तत्वजनाना विद्यापीठ, डीआईटी-ई, मुम्बई, इशान शैक्षिक अनुसंधान समिति, डीआईटी-ई, दिल्ली तथा सिम्बॉयसिस समिति ग्रुप, सीआईटी-I, पुणे ने नि.व.07 और नि.व. 11 के दौरान लगातार 50 से 84 प्रतिशत के बीच लाभ कमाया और ₹ 622.20 करोड़ के अधिशेष संचित किए।

3.5 मंत्रालय ने बताया (मई 2013) की धारा 11(1) के अन्तर्गत 15% अधिशेष के संचय की अनुमति दी गई है तथा धारा 11(2) के अन्तर्गत फार्म 10 भर कर यह 5 वर्ष तक 15% से अधिक भी संचित किया जा सकता है। अतः अधिशेष के संचय को कानून द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। सीमा का निर्धारण वांछनीय अथवा व्यावहारिक नहीं है क्योंकि निधियां, अवसंरचना विकास तथा विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ही संचित की जानी अपेक्षित हैं।

3.6 लेखापरीक्षा ने धारा 11(1) तथा 11(2) की वैधता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया बल्कि ऐसे संचयों के उदाहरण देते हुए निरन्तर संचयों के दृष्टांत इंगित किए हैं। सीआईटी बनाम श्री सीताराम अंजनेया वेद केन्द्र (2008) 174 टेक्समेन 523 (केरल) के मामले में, यह

निर्णय दिया गया था कि 85 प्रतिशत तक आय का अग्रेनयन हालांकि अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत अनुमत है, फिर भी इसे नेमी आधार पर नहीं अपनाया जाना चाहिए और यदि इसे अपनाया जाता है तो न्यास का मुख्य उद्देश्य विफल हो जाएगा वास्तव में, 85 प्रतिशत तक के अग्रेनयन की अनुमति देने वाली धारा 11(2) एक अपवाद है, और यदि वर्ष दर वर्ष इसका अनुसरण किया जाता है तो फिर न्यास के क्रियाकलापों के औचित्य की एओ द्वारा जांच की जानी चाहिए।

3.7 मंत्रालय ने भी प्रत्यक्ष-कर संहिता में यह प्रस्तावित किया था कि न्यास (लाभ कमाने वाले संगठन न हों) छूट लेने के लिए वर्ष में कम से कम 85 प्रतिशत आय का व्यय करें। संचयों के दुर्लभ्योग को रोकने के लिए, मंत्रालय को अधिनियम में समुचित संशोधन करना चाहिए अथवा एक समुचित तन्त्र विकसित करना चाहिए ताकि न्यासों को लगातार किए जा रहे संचय को फॉर्म 10 की कड़ी मानीटरिंग के माध्यम से सभी मामलों में अनुमति न दी जाए चाहे निर्धारण/संवीक्षा।

आईटीडी ने जमशेदजी टाटा न्यास और नवाजभाई रत्न टाटा न्यास को अनियमित छूट प्रदान की जिन्होंने पूंजीगत लाभ से हुए संग्रहण को निषेध रूप में ₹ 3,139 करोड़ का निवेश किया था जिसमें ₹ 1066.95 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

संचित निधियों से उत्पन्न पूंजीगत लाभों की अनियमित छूट

3.8 धारा 13(1)(डी) में प्रावधान है कि धारा 11 अथवा 12 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि न्यासों की निधि किसी सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी में शेयरों या धारा 11(5)(xii) के अंतर्गत निर्धारित शेयरों की बजाय दूसरों में निवेशित की गई हो। कलकत्ता उच्च न्यायालय¹³ ने कहा कि "आय" शब्द में "पूंजीगत लाभ" शामिल होते हैं, और इसलिए इसे धारा 11 (1ए) में अपेक्षित, इसी वर्ष या अगले वर्ष के अंदर निवेशित कर दिया जाना चाहिए।

3.9 हमने पाया कि ₹ 1090.03 करोड़ के कर प्रभाव वाले 14 न्यासों के मामले में जहां संचयन पूंजीगत लाभों से प्राप्त किया गया है, का न तो विशिष्ट प्रणाली में निवेश किया गया न ही सही ढंग से गणना की गई। हालांकि, कुछ मामलों में, उन्होंने अन्य पूंजी संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए विक्रय प्राप्ति को पूरी तरह उपयोग नहीं किया। आईटीडी ने संवीक्षा के बाद इन पूर्ण किये गये निर्धारणों में अनियमित छूट अनुमत की (बाक्स 3.1 देखें)।

बाक्स 3.1: निर्दर्शी मामला

डीईटी-ई, मुंबई, महाराष्ट्र में, जमशेदजी टाटा न्यास और नवाजभाई रत्न टाटा न्यास ने क्रमशः नि.व. 09 और नि.व. 10 के दौरान पूंजीगत लाभ के संबंध में ₹ 1,905 करोड़ और ₹ 1,234 करोड़ अर्जित किये और उनको निवेशों के वर्जित रूप में निवेश कर दिया जो अधिनियम की धारा 13(1) डी के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस प्रकार, एओ को दिये गये प्रावधान के साथ पठित धारा 164(2) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार न्यूनतम दर पर कर के औसत का ₹ 3139 करोड़ का निवेश दर्शाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1066.95 करोड़ के कर की कम उगाही की गई।

¹³ सीआईटी बनाम ईस्ट इंडिया चेरीटेबल न्यास (1996) 206 आईटीआर 152

3.10 मंत्रालय ने बॉक्स 3.1 में उद्घृत लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (मई 2013) और उपचारात्मक कार्रवाई शुरू की। हालांकि उन्होंने कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये ऐसे मामले जिनमें निवेश वर्जित था, संख्या में केवल 14 हैं, हालांकि निदर्शी मामलों में कर प्रभाव बहुत अधिक है। इन मामलों की जांच की जा रही है।

3.11 लेखापरीक्षा का मत है कि उपर्युक्त मामलों की जांच के साथ-साथ, मंत्रालय को यह सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करना चाहिए कि उपरोक्त मामलों में दर्शाई गई ऐसी त्रुटियां कम से कम संवीक्षा निर्धारण में नहीं होनी चाहिए। सभी मामलों में अनाधिकृत तरीके से निवेशों को रोकने के लिए एओज़ को जिम्मेदार बनाने के लिए मंत्रालय को एक प्रभावी निगरानी प्रणाली आरंभ करने की आवश्यकता है।

3.12 मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2013) कि तंत्र पहले से ही मौजूद है, एओज़ द्वारा किया गया संवीक्षा निर्धारण आंतरिक लेखापरीक्षा का विषय है। सीबीडीटी भी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जो न्यास का निर्धारण कर रहे हैं।

3.13 लेखापरीक्षा का मत है कि ऐसी त्रुटियां संवीक्षा निर्धारणों में देखी गई हैं और मौजूदा तंत्र और प्रशिक्षण के बावजूद आंतरिक लेखापरीक्षा भी उन्हें ढूँढने में असफल रही है।

25 मामलों में, न्यासों ने आय के उपयोग के रूप में लेते हुए अन्य न्यासों से संचयन का हस्तांतरण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.52 करोड़ के कर की कम उगाही की गई।

संबंधित न्यास के संचयन का अनियमित हस्तांतरण

3.14 धारा 11 की उप धारा (2) का विवरण संचित निधियों से अन्य न्यासों को दान वर्जित बताता है। हालांकि धारा 11(3) के अधिनियमों के अनुसार मौजूदा वर्ष में अन्य न्यासों को भुगतान के हस्तांतरण पर कोई पाबंदी नहीं है।

3.15 हमने पाया कि 25 न्यासों के मामलों में, न्यासों ने आय को संचित किया और इसे आय को लागू करने के रूप में अन्य न्यासों को हस्तांतरित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप आय के कम निर्धारण के साथ ₹ 32.52 करोड़ की कम उगाही की गई (बॉक्स 3.2 देखें)।

बॉक्स 3.2: निदर्शी मामले

डीआईटी-ई मुंबई में, एफई डिनशॉ न्यास (नि.व. 09 और नि.व. 10), एफ ई डिनशॉ चैरीटीज़ (नि.व. 05, नि.व. 06 और नि.व. 09) और मनुभाई फाऊंडेशन (नि.व. 08 और नि.व. 09) नामक तीन न्यास कर से बचने के लिए अन्य संबंधित न्यासों को खर्च न की गई संचित राशि को अनियमित रूप से हस्तांतरण किया जा रहा था। इन मामलों में ₹ 3.25 करोड़ के अनियमित स्थानांतरण में ₹ 1.04 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

3.16 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि ये मामले अपवाद हैं और इनकी जांच की जा रही है।

3.17 लेखापरीक्षा का मत है कि इन मामलों को अपवाद मामले मानने की अपेक्षा, मंत्रालय को अधिनियम में प्रदान 15 प्रतिशत संवैधानिक कठौतियों के प्राप्त करने के दुर्लभ्योग को रोकने हेतु मौजूदा आय से अन्य न्यासों को दान रोकने के लिए अधिनियम में उचित संशोधन करना चाहिए। इससे न्यासों को अपनी सहायक कंपनियों को मौजूदा आय के हस्तांतरण के व्यवहार पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

चार न्यासों ने कर से बचने हेतु ₹ 6.23 करोड़ के कर की कम उगाही सहित ₹ 14.85 करोड़ के ब्याज रहित ऋण की अदायगी की।

कर से बचने के लिए ब्याज रहित ऋण के रूप में धन का अनियमित हस्तांतरण

3.18 कई न्यायालयों ने अपने निर्णयों¹⁴ में कहा कि बिना उचित ब्याज या आनुशंगिक ऋण का अग्रिम अवैध है। 1973 के परिपत्र सं. 100 के अनुसार, यदि ऋण किसी शैक्षिक न्यास द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु लिया गया था यदि (क) न्यास का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए दिये गये ब्याज सहित ऋण को देना है और (ख) जब इसे पुनर्भुगतान के समय आय के रूप में लिया गया है, तो ऋण का भुगतान केवल उपयोग के लिए समझा जाएगा।

3.19 हमने पाया कि आईटीडी ने चार न्यासों को अनियमित छूट प्रदान की है जिन्होंने ₹ 6.23 करोड़ की कम उगाही सहित कर से बचने के लिए ₹ 14.85 करोड़ के ब्याज रहित ऋण का वितरण किया। (बॉक्स 3.3 देखें)।

बॉक्स 3.3: निर्धारित मामला

डीआईटी-ई मुबंई में चैरीटेबल उद्देश्यों के लिए इसकी वास्तविक उपयोगिता न्यूनतम होने के बावजूद एक निर्धारिति श्री राज फाऊंडेशन ने नि.व. 09 और नि.व. 10 के दौरान धारा 11(1) की व्याख्या के आधार पर अतिरिक्त संचयन किया। वर्ष के दौरान न्यास के उद्देश्यों के लिए खर्च न के बराबर था, निर्धारिति वितरण की बहुत बड़ी राशि ब्याज मुक्त और असुरक्षित ऋण और दावाकृत ऋण वितरण को उपयोग के रूप में दर्शाता था। अनियमित ऋण अग्रिमों में वृद्धि कर से बचने के लिए थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.77 करोड़ के अनुवर्ती कर प्रभाव के साथ निर्धारण से बचते हुए ₹ 5.25 करोड़ की आय हुई।

3.20 मंत्रालय ने बॉक्स 3.3 में दर्शाई गई लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2013) और उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की। मंत्रालय ने आगे कहा कि ब्याज रहित ऋण की वृद्धि धारा 13 के प्रावधान के अनुसार है यदि इसे केवल संबद्ध व्यक्तियों को दिया जाता है। बोर्ड का परिपत्र केवल शैक्षिक ऋण के संदर्भ में है परंतु यह नहीं माना जा सकता कि यह अन्य ऋणों को रोक देता है।

3.21 मंत्रालय का मत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड का परिपत्र आय की उपयोगिता के तर्क को स्पष्ट करता है यदि ऋण किसी शैक्षिक न्यास ने केवल उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को ऋण अग्रिम ब्याज सहित प्रदान किये हों बशर्ते कि न्यास का उद्देश्य ऋण उच्च शिक्षा हेतु ब्याज वाले ऋण प्रदान करना हो। ब्याज रहित ऋण का अग्रिम न्यायालय के उपरोक्त दर्शाये गये निर्णय के भी विरुद्ध है।

3.22 मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2013) कि न्यास द्वारा किसी व्यक्ति को ऋण दिये जाने पर कोई पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है। हालांकि धारा 13 का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिसका

¹⁴ राम भवन धर्मशाला बनाम आईटीआर 725 (राज) राजस्थान राज्य 258, श्रीमती गोमती देवी बनारसीदास वैद्य चैरीटेबल न्यास बनाम आईटीओ (1986) 16 आईटीडी 308 (सभी)

अर्थ है कि लाभ न्यासी या डोनर या मध्यस्थ आदि को प्रदत्त नहीं होना चाहिए जो कि धारा 13 में उल्लिखित प्रावधान के विरुद्ध है।

3.23 लेखापरीक्षा अपना मत दोबारा दोहराता है क्योंकि ऋण का वितरण अधिनियम की धारा 2(15) के अंतर्गत उल्लिखित चैरीटेबल उद्देश्यों की किसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी परिपत्र सं. 100/1973 स्थिति को स्पष्ट करता है कि जहां आय का उपयोग केवल ऋण उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को किसी शैक्षिक न्यास द्वारा अग्रिम के रूप दिये गये हों और वह भी ब्याज के साथ। इसका अर्थ है ब्याज मुक्त ऋण का वितरण चैरीटेबल गतिविधि नहीं मानना चाहिए।

आईटीडी ने तीन न्यासों को अनियमित छूटें प्रदान की जिन्होंने निर्धारित शुल्क के साथ-साथ प्रति व्यक्ति शुल्क को स्वीकार करते हुए पर्याप्त आय प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.88 करोड़ की कम उगाही हुई।

दान/प्रतिव्यक्ति शुल्क प्राप्त करने वाली संस्थाओं को अनियमित छूट

3.24 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया¹⁵ कि प्रत्येक संस्था इस बात को ध्यान रखते हुए कि कोई मुनाफाखोरी नहीं होगी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या अन्य किसी रूप में कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क नहीं लगाया जाएगा; अपनी शुल्क संरचना बनाने के लिए स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया¹⁶ कि शैक्षिक संस्थाएं दान, प्रतिव्यक्ति शुल्क आदि किसी भी रूप में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं ले सकेंगी।

3.25 हमने पाया कि एओज़ ने तीन न्यासों को अनियमित छूट प्रदान की जिन्होंने सामान्य शुल्क के साथ-साथ प्रति व्यक्ति शुल्क भी प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.88 करोड़ का कर प्रभाव हुआ (बाक्स 3.4 देखें)।

बॉक्स 3.4: निर्दर्शी मामला

डीआईटी ई कोलकाता में, शिक्षा देने के कार्य से जूँड़ी भवानीपुर गुजराती एजुकेशन सोसाइटी और मल्टीपल एजुकेशनल और मैन पावर, ने नि.व. 08 से नि.व. 10¹⁷ के दौरान अन्य निर्धारित शुल्कों के ₹ 354.61 करोड़ के प्रतिव्यक्ति शुल्क स्वीकार किये, जिसे कर के अंतर्गत लाया जाना अपेक्षित था। चूक के कारण ₹ 8.88 करोड़ के कर की कम उगाही हुई।

3.26 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि तीन मामलों में आपत्ति उठाई गई थी जिनमें से एक सार निर्धारण है। कुछ अपवाद मामले हैं और उनकी जांच करनी होगी। मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2013) कि बॉक्स मामलों में, लेखापरीक्षा ने शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त विकास शुल्क/दान को लाभ उद्देश्यों के साथ संचित किये गये प्रति व्यक्ति शुल्क के रूप में माना। परंतु लेखापरीक्षा ने इस तथ्य ने अनदेखी की कि विकास शुल्क से प्राप्त आय संबंधित आय और खर्च

¹⁵ टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक और अन्य राज्य (एससी)31/10/200यू)

¹⁶ उन्नीकृष्णन जेपी और अन्य बनाम आंश्वप्रदेश और अन्य राज्य 1993 एआईआर 2178 एससी (i) 594

¹⁷ नि.व.08 से नि.व.10 के लिए भवानीपुर गुजराती एजुकेशन सोसाइटी और मल्टीपल एजुकेशनल और मैनपावर का निर्धारण, दिसम्बर 2009 और 2010 में संवीक्षा के बाद पूरा हुआ था।

खाते में क्रेडिट की जानी थी और दोनों निकाय अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत दिये गये चैरीटेबल उद्देश्यों हेतु एक वर्ष की अपनी आय का लगभग 85% तक उपयोग में ला चुके थे। इसलिए, इस संबंध में इससे अधिक सख्त कदम नहीं उठाया जा सकता था, विशेषतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों निकाय संबंधित नि.व. हेतु धारा 10(23सी)(vi) के अंतर्गत संस्कृत भी थे।

3.27 मंत्रालय का मत तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दान/प्रतिव्यक्ति शुल्क का लेखांकन मात्र इन राशियों को वैद्य करने के लिए काफी नहीं हो सकता जिनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध बताया गया है।

आईटीडी ने वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित चार एसोसिएशनों को बीसीसीआई से प्राप्त टीवी सब्सिडी से अनियमित छूट प्रदान की। जिसके कारण ₹ 37.23 करोड़ के कर प्रभाव की कम उगाही हुई।

वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित क्रिकेट एसोसिएशन को अनियमित छूट

3.28 अधिनियम की धारा 2(15) में कहा गया है कि नि.व. 10 के बाद सामान्य जनता उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम "चैरीटेबल उद्देश्य" के रूप में नहीं माना जाएगा। अधिनियम की धारा 2(15) में प्रावधान है कि नि.व. 10 से सामान्य सार्वजनिक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम "परोपकारी उद्देश्य" के रूप में मानी जाएगी, यदि यह व्यापार वाणिज्य या कारोबार की प्रकृति की कोई गतिविधि करने हेतु अथवा अधिभार के लिए किसी व्यापार, वाणिज्यिक या कारोबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने वाली किसी गतिविधि में संलग्न हो अथवा ऐसी गतिविधि से आय के धारण या उपयोग अथवा प्रयोग की प्रकृति के संबंध में कोई अन्य धारणा हो, पिछले वर्ष में इन गतिविधियों से प्राप्तियों की कुल मूल्य ₹ दस लाख से अधिक हो जाय।

3.29 हमने पाया कि डीआईटी-ई अहमदाबाद (06 दिसम्बर 2010) नि.व. 05 से गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को पंजीकरण धारा 12ए के अंतर्गत यह कहते हुए रद्द कर दिया कि निर्धारिती न्यास द्वारा जिस ढंग से बीसीसीआई से टीवी अधिकारों का उपयोग किया गया वह सही नहीं था क्योंकि यह पूर्णतः वाणिज्यिक प्राप्ति की सीमा और अधिनियम की धारा 2(15) के उपरोक्त प्रावधान के क्षेत्र के अधीन था। एओ (30 दिसम्बर 2011) ने नि.व. 10 के दौरान बीसीसीआई से टीवी अधिकार आय की राशि पर निर्धारिती न्यास को छूट प्रदान नहीं की।

3.30 हालांकि, आईटीडी ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, केरल एसोसिएशन और महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के मामलों में बीसीसीआई से टीवी अधिकारों से प्राप्त आय हेतु चार एक जैसे मामलों में छूट प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 37.23 करोड़ के कर की कम उगाही हुई (बॉक्स 3.5 देखें)।

बॉक्स 3.5: निर्दर्शी मामला

सीआईटी-11 राजकोट, गुजरात में, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने विभिन्न टुर्नामेंट आयोजित करने पर क्रमशः नि.व.08, नि.व. 10 और नि.व. 11 के दौरान बीबीसीआई से ₹ 8.02 करोड़, ₹ 13.81 करोड़ और ₹ 13.34 करोड़ की टीवी सब्सिडी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त निर्धारिती ने राजकोट पर 14 नवम्बर 2008 पर एक दिवसीय मैच के दौरान ₹ 1.12 करोड़ की विज्ञापन विक्रय आय भी प्राप्त की और "खेल प्रसार और विकास" के लिए पावतियों (सकल पावतियों का 1.5 प्रतिशत) का एक छोटा सा हिस्सा खर्च किया गया और इससे ₹ 19.44 करोड़ का संचयन हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.45 करोड़ के कर की कम उगाही के साथ ₹ 19.44 करोड़ का कम निर्धारण हुआ।

3.31 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि मुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के मामले में, माननीय आईटीएटी, अहमदाबाद ने धारा 12ए के अंतर्गत पुनः पंजीकरण करवाया जिसे डीआईटी (ई) अहमदाबाद द्वारा रद्द कर दिया गया था। आईटीडी ने आईटीएटी के आदेश के विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय में एक अपील दर्ज की। उन्होंने आगे कहा कि पंजीकरण रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्ष दर वर्ष के आधार पर धारा 11 के अंतर्गत ऐओ छूट को नहीं रोक सकता। इसके अतिरिक्त, धारा 12एए के अंतर्गत रद्द करने का क्षेत्र केवल उन मामलों तक सीमित है जहाँ गतिविधियाँ उद्देश्यों के अनुसार नहीं हैं या गतिविधियां सही नहीं हैं।

3.32 लेखापरीक्षा ने वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल क्रिकेट एसोसिएशन से अनियमित छूट पर टिप्पणी की है और पंजीकरण पर नहीं। हालांकि, आईटीडी पंजीकरण के रद्द करने के विरुद्ध उच्च न्यायालय में गई। इसलिए आईटीडी इन मामलों में निर्धारिती के छूट प्रदान करने की समीक्षा करेगा।

आईटीडी ₹ 59.61 करोड़ के कर प्रभाव सहित 30 न्यासों को अनियमित छूट प्रदान की जहां स्वैच्छिक योगदान विशेष दिशा-निर्देशों के बिना प्राप्त हुआ था, को आय के रूप में मानने की अपेक्षा कॉर्पस निधि माना गया था।

गुमनाम दान/स्वैच्छिक योगदान की अनियमित छूट

3.33 अधिनियम की धारा 115 बीबीसी दर्शाती है कि जहां न्यास की कुल आय में गुमनाम दान के तरीके से प्राप्त आय शामिल होती है, वहाँ करों को गुमनाम दान के आधार पर अदा किया जाएगा। अधिनियम की धारा 11(1)(डी) में विनिर्दिष्ट है कि किसी विशिष्ट निर्देश के साथ किए गए स्वैच्छिक योगदान जो कार्पस का भाग बनेंगे, संस्था की कुल आय में शामिल नहीं होंगे।

3.34 हमने पाया कि एओज़ ने 30 मामलों में निर्धारितियों को कॉर्पस निधि में बिना किसी विशेष निर्देशों के स्वैच्छिक योगदान को आय के रूप में अनुमत किया था। इसके परिणामतः ₹ 59.61 करोड़ के कर की उगाही नहीं की सकी (बॉक्स 3.6 देखें)।

बॉक्स 3.6: निर्दर्शी मामला

डीआईटी-ई, दिल्ली में, धारा 10 (23सी)(iv) के अंतर्गत अधिसूचित, तकनीकी विकास बोर्ड, ने नि.व. 09 के दौरान ₹ 14.42 करोड़ का स्वैच्छिक योगदान प्राप्त किया जिसे कार्पेस निधि में डाल दिया गया और उसे आय के रूप में नहीं लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.42 करोड़ की आय का निर्धारण नहीं किया जा सका और फलस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ के कर की उगाही नहीं की गई।

3.35 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि विधिक स्थिति सही है। हालांकि, तथ्यों की उपयोगिता के लिए व्यक्तिगत मामलों की जांच की जाएगी।

3.36 लेखापरीक्षा विधिक स्थिति पर प्रश्न नहीं किया है। हालांकि, अधिनियम के प्रावधानों का समुचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मामलों की जांच के साथ-साथ, मंत्रालय भविष्य में ऐसी त्रुटियों को कम करने के लिए एक प्रणाली विकसित करेगा।

3.37 मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2013) कि तंत्र पहले से ही मौजूद है और एओज़ द्वारा की गई संवीक्षा निर्धारण की आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। सीबीडीटी भी उन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जो न्यासों का निर्धारण कर रहे हैं।

3.38 लेखापरीक्षा अपना मत दोहराता है कि अधिनियम में तंत्र मौजूद होने के बावजूद, संवीक्षा निर्धारण में त्रुटियां पाई गई हैं।

आईटीडी ने ₹ 28.01 करोड़ के कर प्रभाव सहित 48 न्यासों को अनियमित छूट प्रदान की जहां न्यासों में वाणिज्यिक गतिविधियां चल रही थीं और खाता-बही अलग से तैयारी की गई थीं।

व्यापार/वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु न्यासों को प्रदान की गई छूट

3.39 अधिनियम की धारा 11 न्यास के किसी आय या कारोबार करने और लाभ कमाने वाले संस्थान पर लागू नहीं होगी जब तक कि न्यास के उद्देश्य प्राप्ति के लिए कारोबार प्रासंगिक न हो तथा धारा 11(4ए) के तहत ऐसे कारोबार के संबंध में ऐसे न्यास या संस्थान द्वारा अलग से बही खाता न बनाए जा रहे हों।

3.40 हमने पाया कि आईटीडी ने ₹ 28.01 करोड़ के कर प्रभाव सहित 48 मामलों में छूट प्रदान की जहां न्यास वाणिज्यिक गतिविधियां कर रहा था और अलग खाता-बही नहीं बनाई गई थी (बॉक्स 3.7 देखें)।

बॉक्स 3.7: निर्दर्शी मामला

डीआईटी (छूट), महाराष्ट्र में, मुंबई प्रभार, एक निर्धारिती "समीक्षा न्यास" "इकोनॉमिक और पालिटिकल वीकली" नामक पात्रिका और पुस्तकों के प्रकाशन पर कार्य कर रहा था और पाठकों से वाणिज्यिक आधार पर वितरण प्रभार इकट्ठे कर रहा था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निर्धारिती दान के नाम पर व्यापार कार्य चला रहा था और छूट की अनुमति अनियमित थी। कर मुक्त गैर दान गतिविधियाँ के संबंध में हानि के परिणाम स्वरूप क्रमशः नि.व. 08, 09 और 10 के दौरान ₹ 2.24 करोड़ ₹ 6.23 करोड़ और ₹ 3.89 करोड़ आय के कम निर्धारण के कारण ₹ 75.55 लाख, ₹ 2.11 करोड़ और ₹ 1.31 करोड़ का कर प्रभाव हुआ।

3.41 मंत्रालय ने कहा कि (मई 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये प्रत्येक मामलों की जांच तथ्यों के आधार पर की जाएगी। हालांकि, सामान्य जनउपयोग के उद्देश्य वाले न्यासों के मामले छोड़कर विधि द्वारा व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधि अनुमत हैं।

आईटीडी ने ₹ 11.74 करोड़ के कर प्रभाव सहित 28 न्यासों को अनियमित छूट प्रदान की जहाँ न्यासों ने अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान के उल्लंघन द्वारा अनियमित छूट

3.42 अधिनियम की धारा 13 बताती है कि धारा 11 अथवा 12 के अंतर्गत चैरीटेबल न्यासों की छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि न्यास की किसी आय या संपत्ति धारा 13(3) में उद्भूत किसी व्यक्ति के लाभ के लिए किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय/जाति या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ के लिए अनुमोदित है या न्यास की किसी निधियां धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक ढंगों या प्रकारों की अपेक्षा न्यासों की निधिया निवेशित या जमा की जाती है।

3.43 हमने देखा कि आईटीडी ने ₹ 11.74 करोड़ के कर प्रभाव वाले 28 मामलों में छूट अनुमत की जहाँ निर्धारिती न्यास ने अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। (बॉक्स 3.8 देखें।)

बॉक्स 3.8: निर्दर्शी मामले

डीआईटी-ई, बैंगलोर और सीआईटी मैंगलोर, कर्नाटक, में महात्मा गांधी विद्या पीठ न्यास (नि.व. 09), नागार्जुना एजुकेशनल सोसायटी (नि.व. 09) तथा अल्वाज़ एजुकेशन फाउंडेशन (नि.व. 10) नाम के तीन न्यासों ने धारा 13(3) में विनिर्दिष्ट इच्छुक व्यक्तियों के लाभ के लिए भुगतान किया और इसे कर हेतु धारा 11 के तहत लाने के बजाय ₹ 11.13 करोड़ की पूरी आय पर छूट अनुमत की गई। इस चूक के कारण ₹ 3.91 करोड़ के कर प्रभाव वाली राशि की सम्भावित गलत छूट दी गई।

3.44 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि इच्छुक व्यक्ति को भुगतान धारा 13(3) के प्रावधान के अनुसार है यदि यह अत्यधिक हो। धारा 13(3) के अनुसार इच्छुक व्यक्तियों को किसी भी भुगतान पर कोई सामान्य प्रतिबन्ध नहीं है। ये जाँच किए जाने वाले तथ्य हैं कि गतिविधियों की प्रकृति अथवा न्यास द्वारा लिए गए लाभ को ध्यान में रखते हुए इच्छुक व्यक्तियों को किया गया भुगतान उचित है।

3.45 लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के उल्लंघन करके अनियमित छूट के लिए एओज़ को जिम्मेदार बनाने हेतु दोबारा अनुदेश जारी करें।

आईटीडी ने चैरीटीबल स्वरूप चरित्र खो चुके न्यासों के माध्यम से ₹ 99.63 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 न्यासों को संचित धन राशियों पर छूट अनुमत की।

धर्मार्थ गतिविधि छोड़ देने वाले निर्धारिती को बावजूद धारा 11(2) के तहत संचयन की छूट

3.46 धारा 11(2) के तहत छूट संचयन पर की छूट है बशर्ते कि इसका उपयोग निर्धारित अवधि हेतु न्यास के चैरीटेबल उद्देश्यों के लिए किया जाए। धारा 11(3)(ए) में प्रावधान है कि यदि किसी वर्ष में न्यास के उद्देश्यों अथवा विशेष प्रयोजन के लिए संचित आय का धार्मिक

अथवा परोपकारी प्रयोजनों के अलावा उपयोग किया जाता है या संचित करने के लिए रोका जाता है अथवा ऐसे उद्देश्यों के उपयोग हेतु अलग से निर्धारित किया जाता है, उस वर्ष की आय के रूप में इस पर कर लगाया जाएगा।

3.47 हमने देखा कि आईटीडी ने ₹ 99.63 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों में छूट अनुमत की जहाँ न्यास ने चैरीटेबल स्वरूप खो दिया (बॉक्स 3.9 देखें)।

बॉक्स 3.9: निर्दर्शी मामले

डीआईटी-ई, मुंबई, क्रेडिट गारंटी फंड न्यास फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइज़ेज का नि.व. 10 के लिए सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारण किया गया न कि इसके गैर-चैरीटेबल प्रकृति न होने के कारण धारा 12 एए के तहत पंजीकरण वाली धारा 2 (15) में संशोधन के अनुपालन में न्यास के रूप में किया गया। चूंकि निर्धारिति लम्बे समय से चैरीटेबल न्यास नहीं था, नि.व. 08 तथा नि.व. 09 के लिए क्रमशः ₹ 94.39 करोड़ तथा ₹ 154.62 करोड़ की राशि वाले धारा 11(2) के तहत अप्रयुक्त संग्रहण पर वर्तमान वर्ष में कर लगाए जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, एओ ने पिछले वर्षों का संग्रहण आय के रूप में नहीं माना जिसके परिणमस्वरूप ₹ 84.63 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 249.01 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

3.48 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि यदि एक वर्ष में छूट प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन पंजीकरण बना रहता है (जोकि अधिनियम की योजना के अनुसार अनुमत है), संचित अधिशेष पर कर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि पाँच वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती।

3.49 मंत्रालय अपने उत्तर पर पुनर्विचार करे क्योंकि लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले उठाये जहाँ पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया है क्योंकि न्यास अपना चैरीटेबल स्वरूप खो चुका है, अप्रयुक्त संग्रहण पर कर लगाया जाना चाहिए।

आईटीडी ने ₹ 6.52 करोड़ के कर प्रभाव वाले 4 मामलों में छूट अनुमत की जहाँ आय को न्यास के अधीन रखी संपत्ति से प्राप्त नहीं किया गया था।

न्यास के अधीन रखी संपत्ति से प्राप्त नहीं की गई आय पर गलत छूट

3.50 अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट भारत में चैरीटेबल अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए न्यास के तहत रखी संपत्ति से प्राप्त की गई आय अनुमतयोग्य है। न्यास द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक योगदान को भी अधिनियम की धारा 12(1) के तहत प्रावधानों के अनुसार न्यास के अधीन रखी संपत्ति से प्राप्त आय माना जाता है। इस प्रकार, यदि न्यास के अलावा किसी संस्थान/संगठन द्वारा रखी संपत्ति से आय प्राप्त की गई है तो ऐसी आय छूट की पात्र नहीं होगी।

3.51 हमने देखा कि आईटीडी ने ₹ 6.52 करोड़ के कर प्रभाव वाले 4 मामलों में छूट अनुमत की जिसकी आय न्यास के अधीन संपत्ति से नहीं प्राप्त की गई थी (बॉक्स 3.10 देखें)।

बॉक्स 3.10: निर्दर्शी मामले

सीआईटी, गोँधीनगर, गुजरात में नि.व. 07 के लिए गुजरात कांउसिल ऑफ साइंस सिटी की कुल प्राप्तियाँ ₹ 39.76 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 5.96 करोड़ की राशि (कुल प्राप्तियों का 15%) धारा 11(ए) के तहत अलग निर्धारित की जानी थी और शेष ₹ 6.04 करोड़ पर कर लगाया जाना था। चूंकि निर्धारिती संस्थान की आय न्यास के अधीन रखी संपत्ति से नहीं प्राप्त की गई थी, धारा 11(1)(ए) के तहत दी गई छूट अनियमित थी। गलत छूट के परिणामस्वरूप ₹ 2.65 करोड़ के कम उगाही सहित ₹ 5.96 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने आपत्ति स्वीकार कर ली और उपचारात्मक कार्रवाई की (नवम्बर 2011)।

3.52 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि ऐसे केवल 4 मामले ही थे।

3.53 लेखापरीक्षा का मानना है कि मंत्रालय उपरोक्त मामलों की जाँच करें और उपचारात्मक कार्रवाई करें।

आईटीडी ने शुद्ध आय की बजाय कुल आय के आधार पर 15 प्रतिशत आय की गणना करते हुए ₹ 5.53 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 न्यासों को गलत छूट अनुमत किया।

धारा 11(ए) के साथ पठित धारा 11(4) के तहत दी गई छूट का अधिक अनुमत किया जाना

3.54 मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि "केवल उपयोग और संग्रहण के लिए शुद्ध आय ही मानी जाएगी"¹⁸ बोर्ड के परिपत्र¹⁹ के अनुसार, न्यास की आय की गणना वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार की जानी है न कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार। इस प्रकार, न्यास के अधीन रखी संपत्ति से प्राप्त की गई आय का 15 प्रतिशत अर्जित आय पर सभी व्यय को पूरा करने के बाद शुद्ध आय पर होगा न कि सकल प्राप्तियों पर।

3.55 हमने देखा कि ₹ 5.53 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 न्यासों के मामले में आय की गणना अनुचित थी (बॉक्स 3.11 देखें)।

बॉक्स 3.11: निर्दर्शी मामले

सीआईटी कोच्चि, केरल में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, नर्सिंग स्कूल, फार्मसी कॉलेज आदि चलाने के कारोबार में संलग्न लाइसी मेडिकल संस्थान ने मूल्यहास एवं स्थापना व्यय को अनुमत करने से पूर्व शुद्ध कारोबार आय की गणना की। निर्धारिती ने उपरोक्त शुद्ध कारोबार आय से स्थापना व्यय और मूल्यहास का दावा आय के उपयोग के रूप में किया। एओ ने संवीक्षा के पश्चात नि.व. 10 के लिए निर्धारण की गणना करते समय केवल शुद्ध आय माना। जबकि नि.व. 07 तथा नि.व. 08 के लिए निर्धारणों की गणना करते समय एओ ने मूल्यहास अनुमत नहीं किया था और शुद्ध कारोबार आय की बजाय कुल प्राप्तियों पर छूट अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.19 करोड़ के कुल कर प्रभाव सहित दो निर्धारण वर्षों में क्रमशः ₹ 2.49 करोड़ तथा ₹ 20.78 लाख वर्षी करयोग्य आय का कम निर्धारण हुआ।

3.56 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कानूनी स्थिति सही नहीं है। धारा 11 में शब्द "आय" न्यास की संपत्ति से प्राप्त कुल आय परिभाषित करता है न कि शुद्ध आय। इससे पता चलता है कि केवल केरल में लेखापरीक्षा विंग ही यह आपत्ति उठाता है।

¹⁸ 223 आईटीआर 831 (मद्रास उच्च न्यायालय) (1997)-सीआईटी बनाम पीएसजी एण्ड सन्स चैरिटीज़

¹⁹ सीबीडीटी की परिपत्र सं. 5पी एलएलएक्स-6) दिनांक 19/06/1968

3.57 लेखापरीक्षा का मानना है कि मंत्रालय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए स्थिति स्पष्ट करे।

आईटीडी ने धारा 11 और 10(23ईए) के तहत वैकल्पिक रूप से निवेशक संरक्षा निधि को ₹ 41.01 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो न्यासों को गलत छूट अनुमत की।

निवेशक संरक्षा निधि (आईपीडीज़) को छूट की गलत मंजूरी

3.58 धारा 10(23ईए) में प्रावधान है कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से या इसके अकेले सदस्य द्वारा प्राप्त योगदानों के माध्यम से आईपीडी की आय कर मुक्त होगी और आईपीडी की अन्य आय करयोग्य होगी। हालांकि, आईपीडीज़ ऐसी करयोग्य आय के लिए धारा 11 के तहत न्यासों के रूप में छूट लेना शुरू कर दिया और वे अधिनियम की धारा 11 और 10 (23ईए) दोनों के तहत छूट का दावा कर रहे थे।

3.59 दि स्टॉक एक्चेंज निवेशक संरक्षा निधि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के ग्राहकों के लाभ के लिए निधि जुटाने के एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाया गया था और निधि बहुत प्रतिबंधित प्रकृति की थी। यह केवल उन्हीं व्यक्तियों को लाभ प्रदान करती थी जो एक्सचेंज पर वास्तव में एक्सचेंज के सदस्य के माध्यम से व्यापार करते थे। न्यास स्टॉक एक्सचेंज के विघटन पर असंबद्धशील था और निर्धारिती की कार्यवाही किसी अन्य न्यास द्वारा नहीं की जा सकती थी लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के साथ शुरू की जा सकती थी। इस प्रकार, निधि प्रकृति स्टॉक एक्सचेंज के एक कारोबारी सुविधा प्रदाता से अधिक एक गैर चैरीटेबल प्रकृति की है (बॉक्स 3.12 देखें)।

बॉक्स 3.12: निर्धारी मामला

डीआईटी-ई, मुंबई में, एओ ने क्रमशः धारा 11 और 10 (23ईए) के अंतर्गत नि.व. 08 और नि.व. 10 के दौरान स्टॉक एक्सचेंज इंवेस्टर प्रोटैक्शन फंड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंवेस्टर प्रोटैक्शन फंड से ₹ 41.01 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 123.7 करोड़ की अनियमित छूट प्रदान की।

3.60 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि तथ्यों की उपयोगिता के लिए मामलों की जांच की जाएगी।

एओज़ ने 20 मामलों में धारा 10(34) और 10(35) के अंतर्गत ₹ 163.66 करोड़ के कर प्रभाव सहित अधिशेष आय पर अनियमित छूट प्रदान की हालांकि यह न्यास के उद्देश्य के लिए अनुमोदित नहीं थी।

लाभांश संबंधी छूट में अनियमित छूट

3.61 धारा 11 से 13 संपत्ति से प्राप्त उस आय की मात्रा के संबंध में है जो चैरीटेबल या धार्मिक न्यासों जो कुल आय का भाग नहीं होगी। ऐसी मात्रा की गणना का तरीका न्यास द्वारा प्राप्त संपत्ति से प्राप्त आय के उपयोग पर आधारित है। आय की छोड़ा जाना इस गणना के आधार पर उद्देश्य को न केवल समाप्त कर देगा अपितु अध्याय बी-III जो कुल आय का भाग हैं "से संबंधित है; का उद्देश्य भी समाप्त हो जाएगा। धारा 10(34) और 10(35) के अंतर्गत निर्धारित लाभांश आय न्यासों पर लागू धारा 11 से 13 के अंतर्गत नहीं आते।

3.62 हमने पाया कि एओज़ ने धारा 10(34) और 10(35) के अंतर्गत लाभांश आय पर छूट प्रदान की जबकि यह ₹ 163.66 करोड़ के कर प्रभाव सहित 20 मामलों में न्यास के उद्देश्य के लिए लागू नहीं होती थी (बॉक्स 3.13 देखें)।

बॉक्स 3.13: निवर्णी मामला

डीआईटी-ई, मुंबई में, एओ ने वि.व.09 के दौरान सर दोराबजी टाटा न्यास को धारा 10(34) और 10(35) के अंतर्गत ₹ 89.26 करोड़ की लाभांश आय की छूट प्रदान की। एओ को इसे प्रदान नहीं करना चाहिए था क्योंकि आय न्यास के उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की गई थी। इस चूक के कारण ₹ 30.34 करोड़ के संभावित कर प्रभाव के साथ छूट प्रदान की गई।

3.63 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि लाभांश आय जो धारा 10(34)/10(35) के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं, को आय उद्देश्यों की उपयोगिता हेतु धारा 11 में विनिर्दिष्ट स्थितियों में नहीं अपनाया जा सकता। ऐसी लाभांश आय चैरीटेबल संस्थानों के हाथों में भी छूट प्राप्त होगी। वह स्थिति जो लागू होगी; वह ऐसी आय के निवेश के संबंध में है धारा 11(5) में निर्दिष्ट तरीकों में, धारा 13(1)(डी) के प्रावधान के अनुसार निवेश किया जा सकेगा। सभी चूकों की जांच की जानी चाहिए।

3.64 लेखापरीक्षा का मानना है कि मंत्रालय धारा 11(5) में निर्दिष्ट तरीकों में धारा 13(1)(डी) के प्रावधान की अपेक्षा लाभांश आय उपयोग हेतु धारा 11/12 के सभी प्रावधानों को मान सकती है या अधिनियम में कोई उचित संशोधन कर सकती है।

एओज़ द्वारा लिये गये असंगत निर्णय

3.65 अधिनियम की धारा 13(1)(डी) बताती है कि धारा 11 के अंतर्गत छूट उपलब्ध नहीं होगी यदि शेयर 30 नवम्बर 1983 के बाद कम्पनी सार्वजनिक क्षेत्र की बजाय अन्य में लिया गया है बशर्ते कि ऐसे शेयर 1 जून 1973 से पहले कॉर्पस दान के रूप न्यास द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

3.66 हमने ऐसे मामले पाए जहाँ एओज ने असंगत निर्णय लिये (बॉक्स 3.14 देखें)।

बॉक्स 3.14: निदर्शी मामले

क. आईटीओ वार्ड 1(4), पुणे में, एओ ने नि.व. 09 के दौरान डॉ. विखे पाटिल फाउंडेशन, पुणे को इस तथ्य पर छूट के लाभांश से वंचित कर दिया कि न्यास धारा 13(3) का उल्लंघन करते हुए कॉपरेटिव बैंक में शेयर धारण कर रहे थे। तथापि, श्री चाणक्य एजुकेशनल सोसाइटी नि.व. 09 व नि.व. 10 के दौरान तीन कॉपरेटिव बैंक में शेयर धारण कर रही थी तथा जिसे छूट की अनुमति दी गई थी हालांकि दोनों को समान प्रभार में ही मूल्यांकित किया गया। इसके परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 1.22 करोड़ तथा ₹ 1.70 करोड़ के प्रभावी कर सहित ₹ 3.58 करोड़ तथा ₹ 5.01 करोड़ की आय का अवनिधारण हुआ।

ख. डीसीआईटी सर्कल 6, पुणे में, एओ ने नि.व. 09 के दौरान राजा श्री शिवराय प्रतिष्ठान को छूट दी जिसके दो कॉपरेटिव बैंकों में शेयर थे यह इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.40 लाख के कर सहित ₹ 1.82 करोड़ के मूल्यांकन का अपवंचन हुआ।

3.67 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि वैद्यानिक स्थिति सही है। विशिष्ट मामलों की जाँच की जाएगी।

3.68 लेखापरीक्षा का मत है कि उपरोक्त मामलों में मंत्रालय उपचारी कार्रवाई आरंभ करें।

एओज ने ₹ 72.32 करोड़ कर सहित अधिक संचयन को शामिल करते हुए 136 मामलों में असंगत निर्णय लिये जहाँ प्रारंभिक स्तर पर आय का 15 प्रतिशत अलग रखा गया था।

निर्धारित सीमा से अधिक निधि संचयन हेतु प्रावधान का अनुपालन न करना।

3.69 अधिनियम की धारा 11(1) में प्रत्येक वर्ष आय के पन्द्रह प्रतिशत तक संचयन तथा अपेक्षित शेष पचासी प्रतिशत को धर्मार्थ उद्देश्य हेतु प्रयुक्त किया जाना अनुमत है। यह निर्णय²⁰ लिया गया कि पहले कुल आय के 15% संचयन तथा बाद में आगामी वर्षों हेतु इसे आगे ले जाने के लिए अधिक व्यय के दावों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, संचयन केवल पन्द्रह प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक उपलब्ध अधिशेष तक ही स्वीकार्य है।

3.70 यहाँ पर संचयन के प्रतिपादन में आईटीडी का कोई एकसमान निर्णय नहीं है। न्यासें इस धारा को मानक कटौती के रूप में उपयोग कर रही थी तथा यह सत्यापित किए बिना कि कोई अधिशेष है या नहीं, आय का पन्द्रह प्रतिशत प्रारंभिक स्तर पर पृथक रखा गया था। एओज ने ₹ 72.32 करोड़ के प्रभावी कर सहित अधिक संचयनों को शामिल करते हुए 136 मामलों में असंगत निर्णय लिये (बॉक्स 3.15 देखें)।

²⁰ दावत इंस्टीट्यूट ऑफ दाऊदी बहरा कम्पनीटी बनाम आईटीओ (2008) 22 एसओटी 359 (मुम्बई)

बॉक्स 3.15: निर्दर्शी मामला

सीआईटी-गांधीनगर, गुजरात में भानूविजयाजी यूनिवर्सल फाउंडेशन ने धारा 11(1)(ए) के अन्तर्गत 15 प्रतिशत तक आय को पृथक रखा था तथापि पृथक रखने हेतु उपलब्ध वास्तविक अनुप्रयुक्त आय सकल प्राप्ति के 15 प्रतिशत से बहुत कम थी। काल्पनिक आय के अनियमित रूप से पृथक रखे जाने के कारण हानि की गलत संगणना ₹ 73.12 लाख के संभावित कर सहित ₹ 2.15 करोड़ तक पूर्णयोग हुई।

3.71 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि वैद्यानिक स्थिति सही है इस पहलू का एओज द्वारा आमतौर पर संवीक्षा निर्धारण के समय ध्यान रखा जाता है।

3.72 लेखापरीक्षा का मत है कि संक्षिप्त निर्धारणों को कवर करने हेतु मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकली प्रक्रिया करने हेतु आईटीआर-7 में उपयुक्त संशोधन करे ताकि उपरोक्त तथ्यों को आय की संगणना में शामिल किया जा सके।

स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा धारा 11 के प्रावधानों का अनुपालन न करना

3.73 वित्त अधिनियम, 2002 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार, राज्यों तथा विकास प्राधिकरणों के हाउसिंग बोर्ड की आय ("स्थानीय प्राधिकरणों" हेतु प्रयुक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अब तक प्राप्त छूट) कर योग्य होगी यदि उन्हें किसी अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य विधान के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरणों के रूप में व्यवहार्य करने हेतु उचित समझा जा सकता है। तथापि, ये निकाय चैरिटेबल न्यासों तथा संस्थाओं के रूप में स्वंय को पंजीकृत करवाकर अपनी आय की छूट हेतु धारा 11 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करते हैं।

3.74 महाराष्ट्र में आईटीडी ने मुम्बई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमआईडीसी) तथा स्लम रीहेबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) को यह कहते हुए छूट से वंचित कर दिया कि ये किसी भी प्रकार की न्यास के रूप में नहीं समझे जा सकते। तथापि, ये निर्धारिती सीआईटी (अपील) में अपील करने में सफल हुए।

3.75 डीआईटी-ई, मुम्बई में, एओ ने गतिविधियों की प्रकृति चैरिटेबल न होने के कारण एमएमआरडीए को छूट से वंचित किया परन्तु निर्धारिती अपील करने में सफल हुआ तथा इसी आधार पर मामला अभी तक न्यायाधीन था। हमने पाया कि एमएमआरडीए, निर्धारिती के विभिन्न विभागों के व्यक्तियों तथा महाराष्ट्र सरकार की इकाईयों से ₹ 1992.48 करोड़ के अग्रिम अधिक ब्याज मुक्त ऋण के आधार पर छूट हेतु योग्य नहीं था तथा इस प्रकार धारा 13(1)(सी) के प्रावधानों को आकृष्ट किया। तथापि, आईटीडी ने छूट की अनुमति न देने तथा उपरोक्त तथ्य अपील करने वाले प्राधिकरणों की सूचना में इन प्रावधानों को नहीं लाया था अतः धारा 13(1)(सी) के उल्लंघन के उपरोक्त पहलू पर विचार नहीं किया।

3.76 मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि जब तक न्यासों के अलग, कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत कम्पनियाँ, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत सोसाइटियाँ भी पंजीकरण योग्य हो तब तक ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि स्थानीय प्राधिकारी धारा 11 के अन्तर्गत छूट का दावा नहीं कर सकते। यह न्यायिक रूप से निर्णय लिया गया है कि पूर्व

स्थानीय प्राधिकरण जिन्होंने धारा 10(20ए) के तहत अपनी आय की छूट का लाभ उठाया है, वे भी उस धारा के हटाए जाने के पश्चात् धारा 12एए के अन्तर्गत पंजीकरण के हकदार हैं। केवल उन मामलों में, जहाँ धारा 2(15) के प्रावधान आकृष्ट है, धारा 13(8) को लागू करके छूट से वंचित किया जा सकता है। विशिष्ट आपत्तियों की जाँच की जाएगी।

3.77 लेखापरीक्षा का विचार है कि मंत्रालय जाँच के पश्चात् स्थिति को स्पष्ट कर सकता है तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुदेश जारी कर सकता है।

अन्य चूकें

3.78 हमने चैरिटेबल न्यासों/संस्थानों को छूट स्वीकृति देते समय ₹ 94.15 करोड़ के प्रभावी कर सहित 166 मामलों में भी विभिन्न प्रकार की चूकें पायी।

सिफारिशें

3.79 हम सिफारिश करते हैं कि

(क) मंत्रालय को एक तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि निश्चित सीमा तक ऐसे संचयन को रोकने के लिए चाहे निर्धारण संक्षिप्त/संवीक्षा में हो अथवा अधिनियम में उचित संशोधन करके सभी प्रकार के निर्धारणों में निश्चित रूप से फार्म 10 की सख्त मॉनीटरिंग करके न्यासों को लगातार संचयन की अनुमति न दी जाए।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि धारा 11(2) के अन्तर्गत फार्म 10 दाखिल करके 5 वर्षों तक 15 प्रतिशत से अधिक अधिशेष संचित किया जा सकता है। इसलिए अधिशेष का संचयन कानून द्वारा अनुमत है। सीमा का निर्धारण वांछनीय या व्यवहार्य नहीं है क्योंकि विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार आधारिक संरचना का विकास तथा अन्य उद्देश्यों हेतु निधि का संचयन आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने धारा 11(1) एवं 11(2) की वैद्यता पर प्रश्न नहीं उठाया है परन्तु ऐसे संचयन के दुस्योग के मामलों का हवाला देते हुए लगातार संचयन के मामलों को उठाया है। मंत्रालय ने डीटीसी में भी प्रस्तावित किया कि न्यास (गैर लाभकारी संगठन) छूट प्राप्त करने के लिए वर्ष में आय का कम से कम 85 प्रतिशत उपयोग करें।

मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2013) कि सभी मामलों की संवीक्षा नहीं की जाती है अतः हर मामले में संचयन तथा अन्य मुद्दों का भौतिक सत्यापन करना संभव नहीं होगा। तथापि, हाल में अधिसूचित फार्म आईटीआर-7 का पहले से ही एक फील्ड अंतर्विष्ट है जिससे इस जानकारी का प्रकटीकरण होगा।

लेखापरीक्षा केवल संक्षिप्त के अन्तर्गत न्यासों के अधिकांश रिटर्नों के रूप में अपने मत को दोहराती है।

(ख) मंत्रालय एक समयावधि की समाप्ति पर कर लगाने के लिए संचित निधि के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्वों के साथ परिभाषित करने हेतु एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र विकसित करें।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि संवीक्षा के दौरान इस पहलू की जाँच की जा रही है। लेखापरीक्षा का मत है कि मंत्रालय अपने आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ करें ताकि उपर्युक्त प्रकृति की छूटे संक्षिप्त निर्धारण में भी न्यूनतम हो।

मंत्रालय ने आगे कहा (जुलाई 2013) कि अधिनियम की धारा 12ए(बी) के प्रावधानों के अनुसार, न्यासों के लेखों की एक लेखाकार द्वारा ही लेखापरीक्षा की जानी आवश्यक है जहाँ धारा 11 तथा धारा 12 के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना इस अधिनियम के अन्तर्गत गणना के रूप में न्यास अथवा संस्थान की कुल आय अधिनियम राशि से अधिक हो जोकि पिछले वर्ष में आयकर के दायरे में प्रभार्य नहीं है। संचित निधि का उपयोग ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का हिस्सा है। इस तथ्य की जाँच भी संवीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान की जाती है।

लेखापरीक्षा का मत है कि अधिनियम में निहित आईटीडी के कार्य अद्वन्यायिक प्रकृति के हैं तथा जिम्मेवारी तीसरी पार्टी को नहीं सौंपीं जा सकती। इसके अलावा, हमने मामलों की संवीक्षा में भी गलतियां पायी जो यह दर्शाती हैं कि या तो अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है या तंत्र में उपर्युक्त नियंत्रण का अभाव है।

- (ग) मंत्रालय, सभी मामलों में अनाधिकृत पद्धतियों में निवेशों की जाँच हेतु एओज को उत्तरदायी बनाने के लिए एक प्रभावी मॉनीटरिंग तंत्र का विकास करें।

मंत्रालय ने कहा (मई 2013) कि संवीक्षा के दौरान इस पहलू की जाँच की जा रही है।

लेखापरीक्षा ने संवीक्षा निर्धारणों में त्रुटियां पाईं जो यह दर्शाती हैं कि इन त्रुटियों की संवीक्षा में जाँच नहीं की गई; इस प्रकार, मंत्रालय को एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी त्रुटियां दोबारा न हो।

- (घ) मंत्रालय को धारा 13 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में अधिनियम की धारा 12ए/10 (23 सी) के अन्तर्गत पंजीकरण/स्वीकृति की छूट/रद्द करने के निवर्तन हेतु कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए।

मंत्रालय सिफारिशों से सहमत नहीं हुआ (मई 2013) परन्तु धारा 13 के उल्लंघन वाले मामलों की जांच के लिए सहमती व्यक्त की।

लेखापरीक्षा का यह विचार है कि मंत्रालय, अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों का उल्लंघन कर अनियमित छूट के लिए एओज को उत्तरदायी बनाने हेतु अनुदेशों को पुनः दोहराएं।